कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 289/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक सिधारी हिमेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना सिधारी की पुलिस टीम द्वारा चोरी के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 14.08.2025 को बह्दग्राम शाहगढ़ से समय 04.30 बजे चोरी के अन्तर्जनपदीय 03 अपराधी 1. मो0 अब्दुल्ला उर्फ छोटू पुत्र मो0 इकबाल ग्राम सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष, 2. मो0 शाहिद पुत्र अब्दुल कयूम ग्राम पुरानी बस्ती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष, 3. विपिन प्रजापति पुत्र रामप्रवेश प्रजापति ग्राम नूरपुर थाना मुबापकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अंगुठी पीली धातु 04 अदद, कान का टप्स पीली धातु 03 अदद, लाकेट पीली धातु 02 अदद, गले की चेन पीली धातु 01 अदद, एक मोबाईल सैमसंग A12, 01 पर्स, एक अदद मोटरसाईकिल UP50CL2431 हीरो स्प्लेण्डर, एक अदद की बोर्ड, एक अदद माउस, 5400/- रूपया नगद बरामद किया गया।

थाना सिधारी

जनपद आजमगढ़ के सिधारी थाने के चोरी से 05 व थाना कोतवाली के 01 घटना का सफल अनावरण, अन्तर्जनपदीय 03 शातिर अपराधी गिरफ्तार।

चोरी के आभूषण (कीमत लगभग 1.5 लाख रूपयें) एक मोबाईल, मोटरसाईकिल व 5400/- रूपया नगद बरामद

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

➡दिनांक 23.12.2024 को वादी विकास शुक्ल पुत्र स्व0 राधेश्याम शुक्ल निवासी ग्राम शहाबपुर थाना बरसठी जिला जौनपुर वर्तमान पता खण्ड विकास अधिकारी (BDO) विकास खण्ड पल्हनी द्वारा थाना सिधारी पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 22.12.2024 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ताला तोड़कर लैपटाप, एक सोने की चैन, दो सोने की अंगुठी तथा लगभग 25000/-नगद चुरा लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 491/24 धारा 305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 31.12.2024 को वादी शेख शाहनवाज पुत्र मुहम्मद अनीस ग्राम मन्दे थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 30.12.24 को वादी की पुत्री लायबा शेख शिवली इण्टर कालेज से टेम्पू से अपने घर मन्दे जा रही थी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा पर्स चोरी कर लिया गया जिसमें मोबाईल, आधार कार्ड, पैन कार्ड व 3000 रुपया था दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 500/2024 धारा 305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 02.02.2025 को वादी मदन लाल चौरसिया पुत्र स्व0 पाँचूराम साकिन खेमऊपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 27.01.2025 को शाम 08.15 बजे खुद की मोटर साइकिल UP50CL2431 इटौरा से किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 40/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 07.04.2025 को वादी विजय कुमार पुत्र भगानू सा0 चकडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 26.03.2025 को समय 06.00 से 07.00 बजे बीच ग्राम पंचायत भवन खोजापुर के कम्प्यूटर कक्ष से डेस्कटाप, सीपीयू, मानीटर, यूपीएस किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 157/2025 धारा 305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 19.06.2025 को वादिनी पुष्पा देवी पत्नी काशीनाथ प्रजापति सा0 काशीराम आवास जाफरपुर ब्लाक नं0 12 कमरा नं0 143 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 18.05.2025 को समय 15.00 बजे अज्ञात चोर द्वारा वादी के मुख्य दरवाजे का कुण्डा उखाड़कर घर में घुसकर बक्से का कुण्डा उखाड़कर दो सोने की चैन, तीन सोने की अंगुठी, दो गले का लाकेट तथा 15000 हजार रुपये नगद चोरी कर लिया गया। जिसके आधार पर मु0अ0सं0-308/25 धारा 331(3)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 01.08.2025 को वादिनी चन्दा रानी पत्नी स्व0 चन्द्रभूषण लाल ग्राम पटखौली थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली आजगमढ़ पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 31.07.2025 समय 13.30 बजे अज्ञात चोरों द्वारा वादिनी के घर से डायमण्ड की अंगूठी और गोल्ड की बनी हुई अंगूठी, एक कान का सूई धागा, गले का लाकेट और 2100 रूपया नगद चोरी कर लिया गया जिसके आधार पर थाना कोतवाली आजमगढ पर मु0अ0सं0- 365/25 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक- 14.08.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह चौकी प्रभारी इटौरा मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र व रात्रि गस्त करते हुए समेदा जाने वाले मार्ग के पास जहानागंज मार्ग राइसमिल के पास मौजूद थे कि अचानक एक मोटर साइकिल बगैर नम्बर प्लेट जिस पर कुल 03 व्यक्ति सवार थे जहानागंज की तरफ से आ रहे थे जिन्हे संदिग्ध समझकर रूकने का इशारा किया गया तो काफी तेजी से अपनी मोटर साइकिल समेदा शाहगढ़ मार्ग पर मोड़ कर भागने लगे। जिस पर उ0नि0 धर्मेन्द्र द्वारा उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी को जरिये दूरभाष अवगत कराते हुए उनका पीछा करते हुए शाहगढ़ के पास उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी मय हमराह द्वारा व उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा उन मोटर साइकिल सवार व्यक्ति

1. मो0 अब्दुल्ला उर्फ छोटू पुत्र मो0 इकबाल ग्राम सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष,

2. मो0 शाहिद पुत्र अब्दुल कयूम ग्राम पुरानी बस्ती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष,

3. विपिन प्रजापति पुत्र रामप्रवेश प्रजापति ग्राम नूरपुर थाना मुबापकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को **समय 04.30 बजे पकड़** लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का सामान व नगद पैसा बरामद हुआ।

पूछताछ कर विवरण:-

➡ गिरफ्तार अभियुक्त मो0 अब्दुल्ला उर्फ छोटू उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं चोर हूं मैंने बहुत जगहों पर चोरी किया है तथा मो0 शाहिद पुत्र अब्दुल कयूम ग्राम पुरानी बस्ती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व विपिन प्रजापति पुत्र रामप्रवेश प्रजापति ग्राम नूरपुर थाना मुबापकपुर जनपद आजमगढ़ मेरे साथी है जब मैं चोरी कर सामान लाता हुं तो उसे इन दोनो लोगों को दे देता हु यह लोग उसे बेचकर मुझे पैसा देते हैं। यह जो सामान है वह भी चोरी का ही है जो सामान मेरे पाकेट से मिला है इसको मैने **दिनांक 18/6/2025 को** दिन में कांशीराम आवास से तीन मंजिला मकान पर उपर वाले कमरे का ताला तोड़कर चोरी किया था जिसमें सोने की दो चेन व सोने की 03 अंगुठी व कान का टप्स तीन सोने का व एक मंगलसुत्र सोने का व गले का दो लाकेट सोने का मिला था। जिसमें से कुछ सामान को हम लोगों नें बेचकर मिले रुपये को खर्च कर दिया है तथा जो अन्य सामान हम लोगों के पास से मिला है वह भी चोरी का ही है। यहां तक कि पर्स व मोबाईल भी चोरी का ही है। **दिनांक 27.01.2025 को** शाम 08.15 बजे खुद की मोटर साइकिल UP50CL2431 इटौरा से किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया था। **पर्स को मैने दिसम्बर माह के लास्ट दिन या एक दिन पहले** ही मैं बयासी के पास एक टेम्पो में जा रही लडकी से के पास से चुराया था जब वे लोग बयासी के पास रोड के किनारे किसी कारण वश खडे थे। उसमें मुझे कुछ कागजात व तीन हजार रुपये व एक मोबाईल मिला था मैने रास्ते में ही कागजात फेक दिया तथा जो रुपया मिला था उसको मैने खर्च कर दिया यह जो मोबाईल है वह उसी बैग में मिले सामान में था। मैने इसको काफी बेचने का प्रयास किया लेकिन नहीं विका आज भी मैं इसको बेचने के लिये ही लेकर जा रहा था। मैं हमेशा इसको पर्स में ही रखता हुं। साहब जो माउस व कीबोर्ड मिला है उसको मैने **दिनांक 26/3/2025 की** रात में खोजापुर पंचायत भवन से चोरी किया था उसमें मुझे कम्प्युटर के बहुत सामान मिले थे जिनको मैं लेकर घर आया कि रास्ते में ही मोटरसाईकिल से गिर जाने के कारण टुट गया जिसको मैने रखा था तथा कल मैने एक कबाडी को बेच दिया जिसमें मुझे मात्र 2000 रुपया मिला जो मेरे पाकेट में मिला है वह वही पैसा है कबाडी के बारे में पुछा गया तो बताया कि साहब मुबारकपुर में बहुत ही फेरी वाले घुमते हैं जो कबाड खरीदते हैं मैं नहीं जानता कि वह कौन था हां सामने पडेगा तो बता दुंगा। लेकिन उसका नाम पता मुझे नहीं पता तथा जो अंगुठी आप बैग में पाये हैं उसको मैने **दिनांक 22/12/2024 को पल्हनी में** एक मकान में दरवाजे पर लगे ताला को तोडकर चोरी किया था उसमें भी मुझे एक लैपटाप मिला था जिसको मैने बहुत पहले ही फेरी वाले कबाडी को बेच दिया जिसमें मुझे कुछ रुपया मिला था जो कि मुझसे खर्च हो गया। वहां पर मुझे एक सोने की चेन व दो सोने की अंगुठी व लगभग 25000 रुपया मिला था पैसा तो मुझसे खर्च हो गया तथा सभी सोने को मैने अपने इन्ही दोनो दोस्तो को दिया था बेचने के लिये जो कि

कुछ सामान बेचकर लाये थे जिसमें से हम लोंगो ने पैसा आपस में बांट लिया था। उसमें से बस एक अंगुठी बची थी जो कि आपने बैग से प्राप्त कर लिया है। तथा जो सामान विपिन के पास है उसको मैने कोतवाली क्षेत्र के पटखौली गांव के एक मकान से **दिनांक 31/7/2025 को** दिन में चोरी किया था जिसमें कोई नहीं था उसमें से मुझे सोने की एक अंगुठी व एक अंगुठी हीरे की तथा कान में पहनने वाला सुई धागा व 2100 रुपया मिला था जिसमें से विपिन के पास एक सोने की अंगुठी व एक सोने का लाकेट है। वह वही है। दुसरे ब्यक्ति मो0 शाहिद द्वारा बताया कि साहब इसने तो सारी बात बता ही दी कि यह चोर है लेकिन साहब हम लोग चोरी नहीं करते हैं हां मेरी गलती यह है कि मैं जानता हूं कि यह चोरी का सामान है तथा लेकर आता है जिसको मैं तथा विपिन बेचकर पैसा अब्दुला को देते हैं तथा लाभ में से हम दोनो भी लेते हैं। साहब मुझे यह सिर्फ सोने व चांदी का सामान ही देते हैं कम्प्युटर का सामान मेरे पास नहीं था। साहब जैसा कि इसने बताया कि कांशीराम आवास व पल्हनी मकान से व कोतवाली से जो चोरी किया है उसका सोना हमे मिला था जिसमें से कुछ सामान हमने बेच दिया तथा कुछ बचा है जो कि आपने पकड ही लिया है। तीसरे ब्यक्ति विपिन प्रजापति द्वारा बताया गया कि शाहिद ने जो कहा वह सब सही है जिस जगह की बात बतायी है। साहब हम लोग लालच बस अब्दुला के साथ जुड गये लेकिन साहब जो कम्प्युटर की चोरी की बात है वह मैं नहीं जानता लेकिन जो सोने की बात बतायी गयी है वह सब सही है।

पंजीकृत अभियोगः-

1-मु0अ0सं0-308/25 धारा 331(3)/305/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- अब्दुल्ला उर्फ छोटू पुत्र मो0 इकबाल ग्राम सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष

1.मु0अ0सं0- 592/13 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0- 970/13 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
3.मु0अ0सं0- 12/14 धारा 41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
4.मु0अ0सं0-13/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
5.मु0अ0सं0- 126/15 धारा 401 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
6.मु0अ0सं0- 396/24 धारा 125(a)/125(b)/81/324(4) बीएनएस थाना मुबारकपुर आजमगढ़
7.मु0अ0सं0- 174/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
8.मु0अ0सं0- 234/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
9.मु0अ0सं0- 326/22 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
10.मु0अ0सं0- 330/22 धारा 380/411/413/414/454 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
11.मु0अ0सं0- 333/22 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
12.मु0अ0सं0- 368/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद मऊ
13.मु0अ0सं0- 87/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ
14.मु0अ0सं0- 437/23 धारा 307/504 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ
15.मु0अ0सं0- 64/22 धारा 380/411 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
16.मु0अ0सं0- 98/22 धारा 380/411 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
17.मु0अ0सं0- 491/24 धारा 305/317(2)/317(4)/317(5) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़
18.मु0अ0सं0 500/2024 धारा 305/317(2) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़
19.मु0अ0सं0 40/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
20.मु0अ0सं0 157/2025 धारा 305/317(2) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़
21.मु0अ0सं0-308/25 धारा 331(3)/305/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
22.मु0अ0सं0- 365/25 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

2- मो0 शाहिद पुत्र अब्दुल कयूम ग्राम पुरानी बस्ती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष

1. मु0अ0सं0-308/25 धारा 331(3)/305/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 491/24 धारा 305/317(2)/317(4)/317(5) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 365/25 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

3- विपिन प्रजापति पुत्र रामप्रवेश प्रजापति ग्राम नूरपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

1. मु0अ0सं0-308/25 धारा 331(3)/305/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 491/24 धारा 305/317(2)/317(4)/317(5) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 365/25 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

अनावरण अभियोगों का विवरणः-

1. मु0अ0सं0- 491/24 धारा 305 बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़ से सम्बन्धित 01 अदद अंगूठी पीली धातु
2. मु0अ0सं0 500/2024 धारा 305 बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़ से सम्बन्धित मोबाइल सैमसंग A12, हैण्ड बैग
3. मु0अ0सं0 40/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़ से सम्बन्धित मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर रजिस्ट्रेशन नं0- UP50CL2431 हीरो स्प्लेण्डर
4. मु0अ0सं0 157/2025 धारा 305 बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़ से सम्बन्धित कीबोर्ड, माऊस, 2000/- रूपया
5. मु0अ0सं0-308/25 धारा 331(3)/305 बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़ से सम्बन्धित चैन 01 अदद पीली धातु, अंगूठी 02 अदद पीली धातु, कान का टप्स 03 अदद पीली धातु, गले का लाकेट 01 अदद पीली धातु
6. मु0अ0सं0- 365/25 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़ से सम्बन्धित 01 अदद अंगूठी पीली धातु, गले का लाकेट 01 अदद पीली धातु, 2100 रूपया

अनावरण अभियोगों का थाना वार विवरणः-

थाना सिधारी – 05, थाना कोतवाली – 01

बरामदगीः- (बरामद सामान का कुल कीमत लगभग- 1,50,000/-रूपया)

1. 04 अदद अंगूठी पीली धातु,
2. 03 अदद कान का टप्स पीली धातु,
3. 02 अदद लाकेट पीली धातु,
4. 01 अदद गले की चैन पीली `धातु,
5. 01 अदद मोबाइल सैमसंग A12
6. 01 अदद मोटर साइकिल नं0- UP50CL2431 हीरो स्प्लेण्डर
7. 01 अदद की बोर्ड
8. 01 अदद माऊस
9. 5400/- रूपया नगद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह चौकी प्रभारी इटौरा थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 मो0 जावेद सिद्दीकी थाना सिधारी आजमगढ़
3. उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा थाना सिधारी आजमगढ़
4. हे0कां0 धर्मराज भारती थाना सिधारी आजमगढ़
5. कां0 अंशुमान सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
6. कां0 कुलदीप सरोज थाना सिधारी आजमगढ़